Untouched
Vmk
WB 4/6/96

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 जून 1996—आषाढ़ 3, शक 1918

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जून 1996

फा. क्र. 17 (ई)-141-95-इक्कीस-ब (दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से मध्यप्रदेश सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 है.

(2) ये ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39);

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष, या यथास्थिति जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष या यथास्थिति तालुक/तहसील/उपखण्डीय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष;

(ग) "जिला प्राधिकरण" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण;

(घ) "उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 8 (क) के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति;

(ङ) "सदस्य" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त राज्य प्राधिकरण का सदस्य या जैसी भी स्थिति हो;

(च) "सचिव" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव या अधिनियम की धारा 8 (क) के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव या अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव, जैसा भी स्थिति हो;

(छ) "राज्य प्राधिकरण" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय भोपाल में है;

(ज) "तालुक/तहसील/उपखण्डीय विधिक सेवा समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 11-क के अधीन गठित तालुक/तहसील/उपखण्डीय विधिक सेवा समिति;

(झ) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए अन्य समस्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो कि उन्हें अधिनियम में क्रमशः दिया गया है.

3. **धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव तथा अर्हताएं.**— (1) राज्य प्राधिकरण में पन्द्रह से अनधिक सदस्यो होंगे.

(2) निम्नलिखित राज्य प्राधिकरण के पदेन सदस्य होंगे,—

(एक) राज्य का महाधिवक्ता,
(दो) वित्त विभाग का प्रभारी सचिव,
(तीन) विधि और विधायी कार्य विभाग का प्रभारी सचिव,
(चार) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का महानिबंधक,
(पांच) राज्य का महानिदेशक पुलिस
(छः) मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग तथा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सभापति (चेयर पर्सन),
(सात) जिला प्राधिकरण के ऐसे दो सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नाम निर्दिष्ट किए जाएं.

(3) राज्य सरकार, इस नियम के उप नियम (4) में विहित अनुभव तथा अर्हताएं रखने वाले सदस्यों में से अन्य तीन सदस्यों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नाम निर्दिष्ट कर सकेगी.

(4) कोई भी व्यक्ति राज्य प्राधिकरण का सदस्य नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) ऐसा सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता न हो, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बालकों, ग्रामीण तथा नगरीय श्रमिकों को सम्मिलित करते हुए जनता के कमजोर वर्गों के उन्नयन में लगा हुआ है, या

(ख) विधि के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध व्यक्ति, या

(ग) ऐसा ख्यात व्यक्ति, जो कि विधिक सेवा स्कीम के क्रियान्वयन में विशेष रूप से रूचि रखता है।

4. धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की शक्तियां तथा कृत्य.—राज्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव की शक्तियां तथा कृत्य अन्य बातों के साथ निम्नानुसार होंगे,—

(क) पात्र तथा कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा देना;

(ख) राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विधिक सेवा स्कीमों तथा कार्यक्रमों की रूपात्मकता तैयार करना तथा उनको प्रभावी ढंग से मानिटर किया जाना तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ग) राज्य सरकार में विभागाध्यक्ष के रूप में प्रशासकीय गृह व्यवस्था, वित्त तथा बजट विषयों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करना;

(घ) राज्य प्राधिकरण की संपत्तियों, अभिलेख तथा निधियों का प्रबंध करना;

(ङ) राज्य प्राधिकरण के सही तथा उचित लेखे रखना जिनमें उसके संबंध में नियतकालिक जांच पड़ताल तथा संपरीक्षा सम्मिलित है;

(च) उक्त प्राधिकरण का वार्षिक आय तथा व्यय लेखा तथा संतुलन पत्र तैयार करना;

(छ) सामाजिक कार्य समूहों और जिला तथा तालुक/तहसील/उपखण्डीय विधिक सेवा प्राधिकरणों से संपर्क करना;

(ज) विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में समय-समय पर की गई प्रगति को सम्मिलित करते हुए आदिनांक तथा संपूर्ण सांख्यकीय जानकारी रखना;

(झ) वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव तैयार करना और उसका उपयोग प्रमाण-पत्र जारी करना;

(ञ) राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों को आयोजित करना तथा विधिक सेवा कार्यक्रमों से संबंधित बैठकें/सेमीनार तथा कार्यशिविर बुलाना और रिपोर्ट तैयार करना तथा उसका अनुवर्ती कार्य करना;

(ट) विधिक सेवा कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जनसाधारण को जानकारी देने के लिए वीडियो/वृत्तचित्र, फिल्में, प्रचार सामग्री, साहित्य तथा प्रकाशन सामग्री बनाना;

(ठ) ग्रामीण विवादों को सुलझाने पर जोर देना तथा ग्रामीणजनों की देहरी पर ही ग्रामीण विवादों को निपटाने के लिए प्रभावी तथा अर्थपूर्ण विधिक सेवा के लिए स्कीम तैयार करने हेतु अतिरिक्त उपाय करना;

(ड) ऐसे कृत्यों का पालन करना जो अधिनियम की धारा 4 (ख) के अधीन बनाई गई स्कीमों के अधीन उसे समनुदेशित किए गए हैं; और

(ढ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य प्राधिकरण के प्रभावी कार्यकरण के लिए समीचीन हैं।

5. कार्यकारी अध्यक्ष की पदावधि.—राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष, चाहे वह उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवा-निवृत्त न्यायाधीश हो, तीन वर्ष तक पदधारण करेगा तथा एक और अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने हेतु पात्र होगा।

6. **राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के लिए विशेष उपबंध.**—(1) कार्यकारी अध्यक्ष, उस दशा में जब कि वह उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश है, राज्य प्राधिकरण के कार्य के संबंध में की गई यात्राओं के बारे में यात्रा-भत्ते तथा दैनिक भत्तों के भुगतान के लिए हकदार होगा तथा समय-समय पर यथा संशोधित हाईकोर्ट जज (ट्रेवलिंग अलाउन्सेज) रूल्स, 1956 के अनुसार उक्त प्राधिकरण द्वारा उसे भुगतान किया जाएगा.

(2) कार्यकारी अध्यक्ष को राज्य प्राधिकरण द्वारा एक स्टाफ कार तथा एक चालक (ड्रायवर) दिया जाएगा तथा स्टाफ कार चालक के वेतन तथा भत्ते के साथ ही साथ कार के रख-रखाव एवं मरम्मत के मद्दे व्यय उक्त प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा.

(3) कार के लिए पेट्रोल के उपभोग की सीमा 150 लीटर प्रतिमाह होगी.

7. **कार्यकारी अध्यक्ष की सेवा शर्तें उस दशा में जब कि वह उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है.**—जहां राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है या राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी पदावधि के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है, वहां :—

(एक) उसके निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग सी.एम. क्रमांक 19048/7/80-ई-चार, दिनांक 8 अक्टूबर, 1987 में या ऐसे अन्य सुसंगत आदेशों में विनिर्दिष्ट हैं जो कि आयोगों/समितियों में नियुक्त उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को लागू हैं;

(दो) उसे राज्य के अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा; और

(तीन) वह प्रति माह तीन सौ रुपये की सीमा तक सत्कार भत्ते के लिए हकदार होगा तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा.

8. **राज्य प्राधिकरण की बैठकें.**—(1) राज्य प्राधिकरण तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा.

(2) सदस्य-सचिव, जब मुख्य संरक्षक द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाए राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से नियत किए जाने वाले स्थान, तारीख तथा समय पर राज्य प्राधिकरण की बैठक बुला सकेगा.

(3) राज्य प्राधिकरण के कोई भी पांच सदस्य अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट विषय या विषयवस्तु पर विचार किए जाने हेतु अपनी अध्यपेक्षा, राज्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव को संबोधित करते हुए भेज सकेंगे.

(4) अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर, सदस्य सचिव, मुख्य संरक्षक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट विषय या विषयवस्तु पर विचार किए जाने के लिए राज्य प्राधिकरण की एक बैठक बुला सकेगा :

परन्तु उस दशा में, जबकि राज्य प्राधिकरण की बैठक अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर होने जा रही हो, तो अध्यपेक्षा में वर्णित विषय या विषयवस्तु को मुख्य संरक्षक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष के अनुमोदन से ऐसी बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा.

(5) ऐसा कोई सदस्य जो राज्य प्राधिकरण की किसी बैठक में किसी विषय या विषयवस्तु पर विचार किए जाने की वांछा करता है, सदस्य-सचिव को ऐसे विषय या विषयवस्तु की लिखित प्रज्ञापना देगा और यदि ऐसी प्रज्ञापना, बैठक की सूचना जारी किए जाने के पूर्व प्राप्त होती है तो वह मुख्य संरक्षक या उसकी अनुपस्थिति में, कार्यकारी अध्यक्ष के अनुमोदन से बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा, तथापि यदि, ऐसा प्रज्ञापना, बैठक की सूचना जारी किए जाने के पूर्व प्राप्त नहीं होती है, तो सूचना में वर्णित उस विषय या विषयवस्तु पर बैठक के पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा से विचार किया जा सकेगा.

(6) सदस्य सचिव, बैठक के लिए सदस्यों को सात दिन की सूचना देगा.

(7) राज्य प्राधिकरण का प्रमुख संरक्षक या उसकी अनुपस्थिति में, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेगा.

(8) राज्य प्राधिकरण की बैठक में समस्त प्रश्न उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से अवधारित किए जाऐंगे और मत बराबर होने की दशा में यथास्थिति, प्रमुख संरक्षक या कार्यकारी अध्यक्ष, जो बैठक की अध्यक्षता कर रहा हो, का एक निर्णायक मत होगा.

(9) बैठक के लिए गणपूर्ति, राज्य प्राधिकरण के कुल सदस्यों के एक तिहाई से होगी.

9. **धारा-6 की उपधारा (4) के अधीन राज्य प्राधिकरण सदस्यों तथा सदस्य-सचिव की पदावधि और उससे संबंधित अन्य शर्तें.**—(1) राज्य सरकार द्वारा नियम-3 के उपनियम (3) तथा नियम-3 उपनियम (2) के खण्ड (7) के अधीन नामनिर्दिष्ट किए गए राज्य प्राधिकरण के सदस्य दो वर्ष की अवधि तक बने रहेंगे तथा पुनः नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र होंगे.

(2) राज्य प्राधिकरण का कोई सदस्य जो नियम-3 के उपनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा, यदि राज्य सरकार की राय में, सदस्य के रूप में उसका बना रहना वांछनीय नहीं है.

(3) यदि ऐसा कोई सदस्य जो नियम-3 के उपनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया है, किसी कारण से राज्य प्राधिकरण का सदस्य न रहे तो, रिक्ति की पूर्ति मूल नामनिर्देशन के अनुसार की जाएगी और इस प्रकार निर्दिष्ट व्यक्ति, उस व्यक्ति की जिसके कि स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है, शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में बना रहेगा.

(4) ऐसे समस्त सदस्य, जो नियम-3 के उप नियम (3) के अधीन नामनर्दिष्ट किए गए हैं, राज्य प्राधिकरण के कार्य के संबंध में की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते का भुगतान किए जाने के हकदार होंगे तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा उन्हें समय-समय पर संशोधित उन नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा जो कि ग्रेड-"क" अधिकारियों को लागू होते हैं.

(5) यदि नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति कोई शासकीय सेवक है, तो वह यथास्थिति या तो अपने पैतृक विभाग से या राज्य प्राधिकरण से, एक ही संवर्ग के यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के लिए हकदार होगा.

(6) राज्य प्राधिकरण का सदस्य-सचिव पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और पांच वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए पद धारण करेगा.

(7) सेवा-निवृत्ति की आयु, पेंशन, वेतन तथा भत्ते प्रसुविधाएं एवं हकदारी और अनुशासनिक विषयों जैसे समस्त विषयों में, सदस्य-सचिव, राज्य सरकार के नियमों से शासित होगा तथा वह राज्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर होगा.

10. **धारा-6 की उपधारा-(5) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या.**—राज्य प्राधिकरण में, सचिवीय सहायता देने के लिए तथा उसके दिन-प्रतिदिन के कृत्यों के लिए उतनी संख्या में अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होंगे जो कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं.

11. **धारा-6 की उपधारा (6) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवाशर्तें और वेतन तथा भत्ते.**—(1) राज्य प्राधिकरण के अधिकारीगण अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के जो समतुल्य पद धारण करते हैं, बराबर वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे.

(2) सेवा-निवृत्ति की आयु, पेंशन, वेतन तथा भत्ते अन्य प्रसुविधाएं एवं हकदारी और अनुशासनिक विषयों जैसे समस्त विषयों में, राज्य प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, राज्य सरकार के उन नियमों से शासित होंगे जो कि समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों को लागू होते हैं.

(3) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाएं, भत्तों तथा प्रसुविधाओं के लिए हकदार होंगे जो राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से समय-समय पर अधिसूचित की जाएं.

12. **धारा-8 (क) की उपधारा-(3) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव तथा अर्हताएं.**—कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह उच्च न्यायालय का ऐसा अधिकारी न हो, जो अतिरिक्त रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो.

13. **धारा-8 (क) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या और उस धारा की उपधारा-(6) के अधीन उन्हें भुगतान किया जाने वाला वेतन तथा भत्ता.**—(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में सचिवीय सहायता देने के लिए तथा उसके दिन-प्रतिदिन के कृत्यों के लिए उतनी संख्या में अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होंगी जो कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं.

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के, जो समतुल्य पद धारण करते हैं, बराबर वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे.

(3) सेवा-निवृत्ति की आयु, पेंशन, वेतन तथा भत्ते अन्य प्रसुविधाएं एवं हकदारी और अनुशासनिक विषयों जैसे समस्त विषयों में, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, राज्य सरकार के उन नियमों से शासित होंगे जो समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों को लागू होते हैं.

(4) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों तथा प्रसुविधाओं के लिए हकदार होंगे जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, समय-समय पर अधिसूचित की जाएं.

14. **धारा-9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन जिला प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या, अनुभव तथा अर्हताएं.**—(1) जिला प्राधिकरण में आठ सदस्यों से अनधिक सदस्य होंगे.

(2) निम्नलिखित जिला प्राधिकरण के पदेन सदस्य होंगे :—

(एक) जिला मजिस्ट्रेट,
(दो) अधीक्षक पुलिस
(तीन) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और
(चार) जिला सरकारी प्लीडर.

(3) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, उन व्यक्तियों में से, जो इस नियम के उप नियम-4 के विहित अर्हताएं तथा अनुभव धारण करते हैं, अन्य सदस्यों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी.

(4) कोई भी व्यक्ति जिला प्राधिकरण का सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) ऐसा समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता न हो, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बालकों तथा ग्रामीण श्रमिक को सम्मिलित करते हुए कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की समुन्नति में लगा हुआ है,

(ख) विधि के क्षेत्र में दक्ष न हो, या

(ग) ऐसा सुप्रसिद्ध व्यक्ति न हो, जो विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में विशेष रुचि रखता है.

15. **धारा-9 की उपधारा (5) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या.**–जिला प्राधिकरण में, सचिवीय सहायता देने के लिए तथा उसके दिन-प्रतिदिन के कृत्यों के लिए उतनी संख्या में अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होंगे, जो कि राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से समय-समय पर अधिसूचित किये जाएं.

16. **धारा-9 की उपधारा (6) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन तथा भत्ते.**–(1) जिला प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के, जो समतुल्य पद धारण करते है, बराबर वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे.

(2) सेवा-निवृत्ति की आयु, पेंशन, वेतन तथा भत्ते, अन्य प्रसुविधाएं एवं हकदारी और अनुशासनिक जैसे समस्त विषयों में जिला प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, राज्य सरकार के उन नियमों से शासित होंगे, जो समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों को लागू होते है.

(3) जिला प्राधिकरण के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के, जो समतुल्य पद धारण करते हैं, बराबर अन्य सुविधाएं, भत्ते तथा प्रसुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे.

17. **धारा-11क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन तालुक/तहसील/उपखण्डीय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव तथा अर्हताएं.**–(1) तालुक/तहसील/उपखण्डीय विधिक सेवा समिति में पांच सदस्यों से अनधिक सदस्य होंगे.

(2) निम्नलिखित तालुक/तहसील/उपखण्डीय विधिक सेवा समिति के पदेन सदस्य होंगे :–

(एक) वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो पदेन अध्यक्ष होगा;
(दो) उपखण्डीय अधिकारी;
(तीन) उपखण्डीय पुलिस अधिकारी.

(3) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, उन व्यक्तियों में से, जो इस नियम के उप नियम -4 में विहित अर्हताएं तथा अनुभव धारण करते है, अन्य सदस्यों के नामनिर्दिष्ट कर सकेगी.

(4) कोई भी व्यक्ति तालुक/तहसील/उपखण्डीय विधिक सेवा समिति का सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह–

(क) ऐसा समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता न हो, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बालकों तथा ग्रामीण श्रमिक को सम्मिलित करते हुए कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की समुन्नति में लगा हुआ है, या

(ख) विधि के क्षेत्र में दक्ष न हो, या

(ग) ऐसा सुप्रसिद्ध व्यक्ति न हो, जो विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में विशेष रुचि रखता है.

18. **धारा-11क की उपधारा (3) के अधीन तालुक/तहसील/उपखण्डीय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या.**–तालुक/तहसील/उपखण्डीय विधिक सेवा समिति में सचिवीय सहायता देने तथा उसके दिन-प्रतिदिन के कृत्यों के लिए उतनी संख्या में अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, समय-समय पर अधिसूचित किया जाए.

19. **धारा-11.क की उपधारा (4) के अधीन के तालुक/तहसील/उपखण्डीय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवाशर्तें और वेतन तथा भत्ते.**—(1) तालुक/तहसील/उपखण्डीय विधिक सेवा समिति के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के, जो समतुल्य पद धारण करते हैं, बराबर वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे.

(2) सेवा-निवृत्ति की आयु पेंशन, वेतन तथा भत्ते, अन्य प्रसुविधाएं एवं हकदारी और अनुशासनिक विषयों जैसे समस्त विषयओं में तालुक/तहसील/उपखण्डीय विधिक सेवा समिति के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, राज्य सरकार के उन नियमों से शासित होंगे जो समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों को लागू होते हैं.

(3) तालुक/तहसील/उपखण्डीय विधिक सेवा समिति के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं तथा भत्तों एवं प्रसुविधाओं के लिए हकदार होंगे जो राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, समय-समय पर अधिसूचित की जाएं.

20. **यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है, तो धारा-12 के खण्ड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति को विधिक सेवा के लिए हकदार बनाने हेतु वार्षिक आय की उच्च सीमा.**—भारत का कोई नागरिक, जिसकी समस्त स्रोतों से आय रुपये 12,000/- (रुपये बारह हजार) या ऐसी उच्च रकम, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, से अधिक न हो, अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (ख) के अधीन विधिक सेवा के लिए हकदार होगा.

21. **धारा-19की उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न लोक अदालतों के व्यक्तियों का अनुभव तथा अर्हताएं.**—कोई भी व्यक्ति लोक अदालत की न्यायपीठ (बैंच) में सम्मिलित किए जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) ऐसा समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता न हो, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बालकों तथा ग्रामीण श्रमिक को सम्मिलित करते हुए कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की समुन्नति में लगा हुआ है; या

(ख) प्रतिष्ठित वकील न हो; या

(ग) ऐसी सुप्रसिद्ध व्यक्ति न हो, जो विधिक सेवा स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में रुचि रखता है.

22. **मध्यप्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का आमेलन.**—मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976 (क्र. 26 सन् 1976) के अधीन गठित मध्यप्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड में इन नियमो के प्रारंभ के समयकार्य कर रहे अधिकारी तथा कर्मचारी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक-59) द्वारा यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक-39) के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी तता कर्मचारी समझे जाएंगे.

23. **अस्थायी उपबंध.**—(1) मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976 (क्र. 26 सन् 1976) की धारा-3 के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड की समस्त आस्तियां और दायित्व इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को राज्य प्राधिकरण में निहित हो जाएंगे तथा उक्त प्राधिकरण को ऐसी आस्तियों का कब्जा लेने, उन्हें वसूल करने तथा उनके संबंध में कार्यवाही करने तथा ऐसे दायित्वों का उन्मोचन करने के लिए आवश्यक समस्त शक्तियां होंगी.

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख के तत्काल पूर्व लंबित ऐसा कोई कार्यवाही, जिनमें उक्त बोर्ड एक पक्षकार था, चालू रहेगी मानों कि उक्त बोर्ड के स्थान में राज्य प्राधिकरण एक पक्षकार था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अवस्थी, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जून 1996

फा. क्र. 17 (ई) 141-95-इक्कीस-ब (दो).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 17 (ई) 141-95-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 24 जून 1996 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अवस्थी, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 24th June 1996

F. No. 17 (E)-141-XXI-B (II).—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), and in consultation with the Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court, the Government of Madhya Pradesh makes the following rules, namely:—

RULES

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called "The Madhya Pradesh State Legal Services Authority Rules, 1996".

(2) They shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint.

2.Definitions.— In these Rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities Act, 1994 (No. 59 of 1994);

(b) "Chairman" means the Executive Chairman of the State Authority, or, as the case may be, the Chairman of the District Authority, or, as the case may be, the Chairman of the Taluk/Tehsil/Sub Division Legal Services Committee;

(c) "District Authority" means the District Legal Services Authority constituted under Section 9 of the Act;

(d) "High Court Legal Services Committee" means a High Court Legal Services Committee constituted under Section 8-A of the Act;

(e) "Member" means the member of the State Authority appointed under clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the Act, or as the case may be;

(f) "Secretary" means the Member-Secretary of the State Legal Services Authority constituted under Section 6 of the Act or, the Secretary of the High Court Legal Services Committee constituted under Section 8-A of the Act, or the Secretary of the District Legal Services Authority constituted under Section 9 of the Act or as the case may be;

(g) "State Authority" means the State Legal Services Authority constituted under Section 6 of the Act having as head quarters at Bhopal;

(h) "Taluk/Tehsil/Sub-Division Legal Services Committee" means a Taluk/Tehsil/Sub-Division Legal Services Committee constituted under Section11-A of the Act;

(i) All other words and expressions used in these Rules but not defined shall have the meaning respectively assigned to them in the Act;

3. The number, experience and qualifications of other members of the State Authority under clause (c) of sub-section (2) of Section 6.—(1) The State Authority shall have not more than fifteen members.

(2) The following shall be ex-officio member of the State Authority :—

(i) Advocate General of the State;

(ii) The Secretary in charge of the Department of Finance.

(iii) The Secretary in charge of the Department of Law & Legislative Affairs;

(iv) Registrar General of Madhya Pradesh High Court;

(v) The Director General of Police of the State;

(vi) Chairperson of Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Janjati Ayog and Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jati Ayog;

(vii) Two Chairman of the District Authority, as may be nominated by the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court.

(3) The State Government may nominate, in consultation with the Chief Justice of the High Court, other three members from amongst those possessing the experience and qualifications prescribed in sub-rule (4) of this rule.

(4) A person shall not be qualified for nomination as a member of the State Authority unless he is—

(a) an eminent Social Worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women children, rural and urban labour; or

(b) an eminent person in the field of law; or

(c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes.

4. The powers and functions of the Member-Secretary of the State Authority under sub-section (3) of Section 6.—The powers and functions of the Member-Secretary of the State Authority, *inter alia*, shall be—

(a) to give free legal services to the eligible and weaker sections;

(b) to work out modalities of the Legal Services Schemes and programmes approved by the State Authority and ensure their effective monitoring and implementation;

(c) to exercise the powes in respect of Administrative, House-keeping, Finance and Budget matters as Head of the Department in the State Government;

(d) to manage the properties, records and funds of the State Authority;

(e) to maintain true and proper accounts of the State Authority including checking and auditing in respect thereof periodically;

(f) to prepare Annual Income and Expenditure Account and Balance Sheet of the said Authority;

(g) to liaise with the Social Action Groups and District and Taluk/Tehsil/Sub Division Legal Services Authorities;

(h) to maintain upto date and complete statistical information including progress made in the implementation of various Legal Services Programmes from time to time.

(i) to process proposals for financial assistance and issue Utilisation Certificate thereof;

(j) to organise verious Legal Services Programmes as approved by the State Authority and convene Meetings/Seminars and Workshops connected with Legal Services Programmes and preparation of Reports and follow-up action thereon;

(k) to produce video/documentary films, publicity material, literature and publications to inform general public about the various aspects of the Legal Services Programmes;

(l) to lay stress on the resolution of Rural Disputes and to take extra measures to draw schemes for effective and meaningful legal services for settling Rural Disputes at the door-steps of the rural people;

(m) to perform such of the functions as are assigned to him under the Schemes formulated under Section 4 (b) of the Act; and

(n) to perform such other functions as may be expedient for efficient functioning of the State Authority.

5. **Terms of office of the Executive Chairman.**—(1) The Executive Chairman of the State Authority, whether a serving or retired Judge of the High Court, shall hold office for a term of three years and shall be eligible for re-nomination for one more term.

6. **Special provisions for the Executive Chairman of the State Authority.**—(1) The Executive Chairman, in case he is a sitting Judge of the High Court, shall be entitled to payment of travelling allowances and daily allowance in respect of the journeys performed in connection with the work of the State Authority and paid by the said Authority in accordance with the provisions of the High Court Judge (Travelling Allowances) Rules, 1956, as amended from time to time.

(2) The Executive Chairman shall be provided with a staff car and a driver by the State Authority and the expenditure on account of the pay and allowances of the staff car driver as well as maintenance and repairs of the car shall be borne by the said Authority.

(3) The ceiling for the petrol consumption for the car shall be 150 litres per month.

7. **Conditions of service of the Executive Chairman in case of a retired Judge of the High Court.**—Where the Executive Chairman of the State Authority is a retired Judge of the High Court or retired as High Court Judge during his term of office as Executive Chairman of the State Authority :—

(i) his terms and conditions shall be such as are specified in the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure-O.M. No. 19048/7/80-E.IV, dated 8th October, 1987 or such other relevant orders of the State Government as may be applicable to the retired Judges of the High Court appointed on Commissions/Committees;

(ii) he shall be permitted to subscribe to the Contributory Provident Fund of the State; and

(iii) he shall be entitled to a sumptuary allowances to the tune of rupees three hundred per month and paid by the State Authority.

8. **Meetings of the State Authority.**—(1) The State Authority shall meet atleast once in three months.

(2) The Member-Secretary may, or when so directed by the Patron-in-Chief or in his absence by the Executive Chairman, convene a meeting of the State Authority at the place, date and time to be fixed in consultation with the Executive Chairman of the State Authority.

(3) Any five members of the State Authority may send their requisition addressed to the Member-Secretary of the State Authority for consideration of the subject or matter specified in the requisition.

(4) On receipt of the requisition, the Member-Secretary shall, in consultation with the Patron-in-Chief or, in his absence, with the Executive Chairman, convene a meeting of the State Authority for consideration of the subject or matter specified in the requisition :

Provided that in case the meeting of the State Authority is going to be held within a month from the date of receipt the requisition, then the subject or matter mentioned in the requisition shall be included for consideration in the agenda of such meeting with the approval of the Patron-in-Chief of, or in his absence, the Executive Chairman.

(5) Any member desiring consideration of any subject or matter at any meeting of the State Authority may intimate in writing such subject or matter to the Member-Secretary and if such intimation is received before notice for the meeting is issued, it shall be included in the agenda of the meeting with the approval of the Patron-in-Chief or, in his absence, the Executive Chairman, but if, however, such intimation is not received before the issue of the notice of the meeting, then the subject or matter mentioned in the notice may be considered at the meeting with the permission of the presiding officer at the meeting.

(6) The Member-Secretary shall give seven day's notice to the members for the meeting.

(7) The Patron-in-Chief of the State Authority or, in his absence, the executive Chairman, shall preside over the meeting of the State Authority.

(8) All questions at any meeting of the State Authority shall be determined by a majority of votes of the member present and voting and the Patron-in-Chief, as the case may be, or the Executive Chairman who may be presiding at the meeting, shall have a casting vote in case of an equality of votes.

(9) The quorum for the meeting shall be one third of the total members of the State Authority.

9. The terms of office and other conditions relating thereto, of members and Member-Secretary of the State Authority under sub-section (4) of Section 6.—(1) The members of the State Authority nominated under sub-rule (3) of rule 3 and 2 (vii) of rule 3 by the State Government shall continue for a term of two years and shall be eligible for renomination.

(2) A member of the State Authority nominated under sub-rule (3) of rule 3 may in consultation with the Chief Justice of the High Court be removed by the State Government if in the opinion of the State Government, he is not desirable to continue as a member.

(3) If any member nomianted under sub-rule (3) of rule 3 ceases to be a member of the State Authority for any reason, the vacancy shall be filled up in the same manner as the original nomination and the person so nominated shall continue to be a member for the remaining term of the member in whose place he is nominated.

(4) All members nominated under sub-rule (3) of rule 3 shall be entitled to payment of travelling allowances and daily allowances in respect of journeys performed in connection with the work of the State Authority and shall be paid by the State Authority in accorance with the rules as are applicable to the Grade 'A' officers, as amended from time to time.

(5) If the nominated member is a government employee, he shall be entitled to only one set of travelling allowance and daily allowance either from his parent department, or, as the case may be, from the State Authority.

(6) The Member-Secretary of the State Authority shall be the whole time employee and shall hold office for a term not exceeding five years.

(7) In all matters like age of retirement, pensions, pay and allowances benefits and entitlements and disciplinary matters, the Member-Secretary shall be governed by the State Government Rules and he shall be on deputation to the State Authority.

10. The number of officers and other employees of the State Authority under sub-section (5) of Section 6.—The State Authority shall have such member of officers and other employees for rendering secretarial assistance and for its day to day functions as may be notified by the State Government from time to time. In consultation with the Chief Justice of the High Court.

11. The conditions of service and the salary and allowances of officers and other employees of the State Authority under sub-section (6) of Section 6.—(1) The officers and other employees of the State Authority shall be entitled to draw pay and allowances at par with the State Government employees holding equivalent posts.

(2) In all matters like age of retirement, pensions, pay and allowances, other benefits and entitlements and disciplinary matters, the officers and other employees of the State Authority shall be governed by the State Government Rules as are applicable to persons holding equivalent posts.

(3) The officers and other employees of the State Authority shall be entitled to such other facilities, allowances and benefits as may be notified by the State Government from time to time in consultation with the Chief Justice of the High Court.

12. The experience and qualifications of Secretary of the HIgh Court Legal Services Committee under sub-Section (3) of Section 8-A.—A person shall not be qualified for appointment as Secretary of the High Court Legal Services Committee unless he is an officer of the High Court not below the rank of Additional Registrar.

13. The number of officers and other employees of the High Court Legal Services Committee under sub-section 8-A and the conditions of service and the salary and allowances payable to them under sub-section (6) of that section.—(1) The High Court Legal Services Committee shall have such number of officers and other employees for rendering secretarial assistance and for its day to day functions as may be notified by the State Government from time to time in consultation with the Chief Justice of the High Court.

(2) The officers and other employees of the High Court Legal Services Committee shall be entitled to draw pay and allowances at par with the State Government employees holding equivalent posts.

(3) In all matters like age of retirement, pensions, pay and allowances, other benefits and entitlements and disciplinary matters, the officers and other employees of the High Court Legal Services Committee shall be governed by the State Government Rules as are applicable to persons holding equivalent posts.

(4) The officers and other employees of the High Court Legal Services Committee shall be entitled to such other facilities allowances and benefits as may be notified by the State Government from time to time in consultation with the Chief Justice of the High Court.

14. The number, experience and qualifications of members of the District Authority under clause (b) of sub-section (2) of Section 9.—(1) The District Authority shall have not more than eight members.

(2) The following shall be ex-officio members of the District Authority :—

(i) District Magistrate;
(ii) Superintendent of Police;
(iii) Chief Judicial Magistrate; and
(iv) District Government Pleader.

(3) The State Government may nominate, in consultation with the Chief Justice of the High Court, other members from amongst those possessing the qualifications and experience prescribed in sub-rule (4) of this rule.

(4) A person shall not be qualified for nomination as a member of the District Authority unless he is—

(a) a dedicated social worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children and rural labour;

(b) a well versed in the field of law; or

(c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes.

15. The number of officers and other employees of the District Authority under sub-section (5) of Section 9.—The District Authority shall have such number of officers and other employees for rendering secretarial assistance and for its day-today functions as may be notified by the State Government from time to time in consultation with the Chief Justice of the High Court.

16. The conditions of service and the salary and allowances of the officers and other employees of the District Authority under sub-section (6) of Section 9.—(1) The officers and other employees of the District Authority shall be entitled to draw pay and allowances at par with the State Government employees holding equivalent posts.

(2) In all matters like age of retirement, pensions, pay and allowances, other benefits and entitlements and disciplinary matters, the officers and other employees of the District Authority shall be governed by the State Government Rules as are applicable to persons holding equivalent posts.

(3) The officers and other employees of the District Authority shall be entitled to such other facilities, allowances and benefits as may be notified by the State Government from time to time in consultation with the Chief Justice of the High Court.

17. The number, experience and qualifications of members of the Taluk/Tehsil/Sub-Division Legal Services Committee under clause (b) of sub-section (2) of Section 11-A.—(1) The Taluk/Tehsil/Sub-Division Legal Service Committee shall have not more than five members.

(2) The following shall be ex-officio members of the Taluk/Tehsils/Sub-Division Legal Services Committee :—

(i) Senior most Judge, who shall be the ex-officio Chairman;

(ii) Sub-Divisional Officer;

(iii) Sub-Divisional Police Officer;

(3) The State Government may nominate, in consultation with the Chief Justice of the High Court other members from amongst those possessing the qualifications and experience prescribed in sub-rule (4) of this rule.

(4) A person shall not be qualified for nomination as a member of the Taluk/Tehsil/Sub-Divisional Legal Services Committee unless he is—

(a) dedicated social worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people, including Scheduled Castes, Scheduled Trbes, Women, Children and rural labour; or

(b) well versed in the field of law; or

(c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes.

18. The number of officers and other employees of the Taluk/Tehsil/Sub-Division Legal Services Committee under sub-section (3) of Section 11-A.—The Taluk/Tehsil/Sub-Division Legal Services Committee shall have such number of officers and other employees for rendering secretarial assistance and for its day-today functions as may be notified by the State Government from time to time in consultation with the Chief Justice of the High Court.

19. The conditions of service and the salary and allowances of officers and other employees of the Taluk/Tehsil/Sub-Division Legal Services Committee under sub-section (4) of Section 11-A.—(1) The officers and other employees of the Taluk/Tehsil Sub-Division Legal Services Committee shall be entitled to draw pay and allowances at par with the State Government employees holding equivalent posts.

(2) In all matters like age of retirement, pensions, pay and allowances, other benefits and entitlements and disciplinary matters, the officers and other employees of the Taluk/Tehsil/Sub-Division Legal Services Committee shall be governed by the State Government Rules as are applicable to persons holding equivalent posts.

(3) The officers and other employees of the Taluk/Tahsil/Sub-Division Legal Services Committee shall be entitled to such other facilities, allowances and benefits as may be notified by the State Government from time to time in consultation with the Chief Justice of the High Court.

20. **The upper limit of annual income of a person entitling him to Legal Services under clause (b) of Section 12, if the case is before a court other than the Supreme Court.**—Any citizen of India whose annual income from all sources does not exceed Rs. 12,000/- (Rupees twelve thousand) or such higher amount as may be notified by the State Government from time to time, shall be entitled to legal service under clause (b) of Section 12 of the Act.

21. **The experience and qualifications of other persons of the Lok Adalats other than referred to in sub-section (4) of Section 19.**—A person shall not be qualified to be included in the Bench of Lok Adalat unles he is—

(a) a dedicated social worker who is engaged in the unliftment of the weaker sections of the people including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children, rural and urban labour; or

(b) a lawyer of standing; or

(c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes and Programmes.

22. **Absorbtion of officers and employees of Madhya Pradesh Vidhik Sahayata Tatha Vidhik Salah Board.**—The officers and employees working in the Madhya Pradesh Vidhik Sahayata Tatha Vidhik Salah Board constitued under the Madhya Pradesh Samaj Ke Kamjor Vargon Ke Liye Vidhik Sahayata Tatha Vidhik Salah Adhiniyam, 1976 (No. 26 of 1976) at the commencement of these rules shall be treated as the officers and employees of the State Legal Services Authority constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities Act, 1994 (No. 59 of 1994).

23. **Transitory Provisions.**—(1) All assets and liabilities of the Madhya Pradesh Vidhik Sahayata Tatha Vidhik Salah Board, established under section 3 of the Madhya Pradesh Samaj Ke Kamjor Vargon Ke Liye Vidhik Sahayata Tatha Vidhik Salah Adbhiniyam, 1976 (No. 26 of 1977), on the date of commencement or these rules shall stand vested in the State Authority and the said authority shall have all powers necessary to take possession of, recover and deal with such assets and discharge such liabilities.

(2) Any proceedings pending immediately before the date of commencement of these rules to which the said Board was a party shall be continued as if the State Authority was a party thereof in lieu of the said Board.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. K. AWASTHI, Addl. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1996.